

325/- 7500/- 1000Rs.



$$\frac{3400 \times 21.60}{73400} =$$

It is
affixed
Gandhi

For and

15.10.2005

रुपये ७५०
रुपये ३००
रुपये १५०
रुपये १००
रुपये ५०

बिक्रय पत्र कीमत कुल 75,000/- रुपये मात्र
बिक्रया- श्री सुरेशन यादव पिता स्वर्गीय बुधन यादव, धर्म हिन्दू भारतीय, पेशा
व्यवसाय, साकिन मधुपुर, थोना मधुपुर, सबडिविजन मधुपुर, सबरजिट्टी, व
जिला देवघर।

केता- श्रीमती दुर्गा देवी पति श्री हरेचंद्र यादव, जाति गाला, पेशा गृहस्थामीनी,
साकिन बड़शेखपुर, थाना व सबडिविजन मधुपुर, सबरजिट्टी व जिला देवघर।
राष्ट्रीयता भारतीय।

लख्य प्रकार- बिक्रय पत्र।

21-10-2005
12-10-2005
15-10-2005

15-10-2005

1000RS.



१००० रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

सरकारी नोट

१००० रुपये

₹ 1000

R.S. 1000

15.10.2005

१००० रुपये

बिकींत सम्पत्ति की कीमत-कुल 75,000/- पचहत्तर हजार रुपये मात्र।

बिकींत सम्पत्ति का विवरण-निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है।

विदित हो कि जिला सथाल प्रगना, वर्तमान जिला देवधर, सबडिविजन, सबरजिस्ट्री देवधर, हाल सबडिविजन मधुपुर, थाना मधुपुर, तालुक पाथरोल, सामील मौजा बड़ाशेखपुरा न० 272 के अन्दर बसौड़ी सत्त्व की जमीन रकवा 2 दो बीघा 14 चौदह कर्ता, तदुपरिस्थित मकान आदि, अन्दर बसौड़ी महाल टाउन "क", अन्दर थोका न० 36, अन्दर हलका मधुपुर नगरपालिका वार्ड न० 15, होल्डिंग न० 146 के मालिक व अधिकारी देवनारायण कुण्डु रहते हुए निर्विवाद रूप से भोग दखल करते हैं।

1000RS.



उपर्युक्त श्री देवनारायण कुण्डे ने निबंधन कार्यालय देवधर से निबंधित एक कीता बिक्य पत्र पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 05, पृष्ठ संख्या 408 से 411 में निबंधित जिसकी संख्या 1196 वर्ष 1958 ईस्वी के द्वारा उक्त सम्पति को श्री भोला सिंह पिता स्वर्गीय काशी सिंह साकिन बड़ाशेखपुरा, थाना मधुपुर, जिला देवधर के निवासी के पास बिकी कर दिया।

उपर्युक्त श्री भोला सिंह उक्त खारीदगी सम्पति रकवा 2 दो बीघा 14 चौदह कटठा मय मकानादि अन्दर थोका न0 36, अन्दर हलका मधुपुर नगरपालिका वार्ड न0 15, हॉलिङ्ग न0 146 पर दखल कब्जा लेकर तथा तत्कालीन सिरिस्ता में अपना नाम दर्ज करवाकर वार्षिक मालगुजारी व टैक्स आदि आदाय करते हुए वहैसियत पुर्ण मालिक भोगवान व दखलकार हुए।

उपर्युक्त भोला सिंह पिता स्वर्गीय काशी सिंह, साकिन बड़ाशेखपुरा, थाना मधुपुर, जिला देवधर के निवासी ने दिनांक 10/03/1987 ईस्वी में निबंधन कार्यालय कलकत्ता से निबंधित एक कीता बिक्य पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 79, पृष्ठ संख्या 67 से 76 में निबंधित जिसकी संख्या 2624 वर्ष 1987 ईस्वी के द्वारा, रकवा 2 दो बीघा 13 तेरह कट्टा, मय मकानादि, अन्दर थोका न0 36, अन्दर बसौँडी महाल टाउन "क", अन्दर हलका मधुपुर

नगरपालिका वार्ड नं० 15, होल्डिंग नं० 146 बोजीव उक्त दस्तावेज के संलग्न नक्शा में लाल रंग से चिरा अंश मय कुल हक हकुक, उपर्युक्त मुझ बिकेता श्री सुदर्शन यादव के पास बिकी कर दिया।

उपर्युक्त में बिकेता श्री सुदर्शन यादव उक्त खण्डगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय मधुपुर में नामान्तरण वाद संख्या 84/1988-89 के द्वारा अपना नाम दर्ज करवाकर थोका नं० 36/14 के बावत वाणिक मालगुजारी आदाय करते हुए व उसपर बहेसियत पूर्ण मालिक निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार रहते हुए इसके पहले कुछ अंश को बिकी भी कर चुका हूँ।

अभी मुझ बिकेता को अपने आवश्यक जरूरी सांसारिक खर्च के लिये रूपये की सख्त जल्दत है, इसलिये अवशेष सम्पत्ति के अन्दर रकवा 3,400 वर्गफीट जिसका पूर्ण विवरण निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है, को बिकी करने का ऐलान किया।

आप केता इसे अभी के बाजार भाव से अधिकतम कीमत पर अपने संचित रसीधन से खरीद करने की इच्छा जाहिर करने पर उभय पक्ष की मंजुरी से इसकी कीमत कुल 75,000/-प्रवहत्तर हजार रूपये कायम हुए।

अतएव आज तारीख में बिकेता, आप केता से कीमत के कुल रूपये लेकर निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंग अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकुक, आप केता के पास बिकी कर दिया ओर आपके दखल कब्जे में दिया।

अब आप केता, मुझ बिकेता के सत्व व दखल से सत्त्ववती व दखलकारी होकर मय अपने उत्तराधिकारी मय वारिसान स्थलभिविततगण कम से भोग, दखल, दान, बिकी, मोरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने की अधिकारी होकर स्वेच्छा पुर्वक भोग दखल करती रहें, इसमें मुझ बिकेता मय वारिसान को किसी भी तरह की उज्ज्वलता नहीं होगी न कोई कर सकेगा। आगर कोई करे तो वह न्यायालय से निरस्त होगा।

२५८२१०८४८
15.10.2005

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति का मैं बिकेता ही एकमात्र मालिक हूँ इसमें
दुसरा कोई अशंदार या दखलकार नहीं है व इसके पहले निम्न सम्पत्ति को
किसी के पास किसी तरह का दाय-संयुक्त या हस्तान्तरण आदि नहीं किया
हूँ। हर तरह से साफ व पाक है।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अगर भविष्य में मुझ बिक्रेता
मय वारिसान को कुछ लिखना या करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में आप केता
मय वारिसान के अनुरोध व खर्च से वैसा लिखने व करने को तैयार रहेंगा।

अतएव आज तारीख में बिक्रेता स्वेच्छा से मन व शरीर की
स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दबाव या बहकावे कीमत के कुल रूपये
लेकर यह बिक्री पत्र लिख दिये जो प्रमाण रहे दिनांक 15/10/2002

अनुसूची सम्पत्ति

थाना नं 272, जिला देवधर, सबडिजिजन मधुपुर, सबरजिझी देवधर, थाना
मधुपुर, सामिल मौजा बड़ाशेखपुरा के अन्दर बसौड़ी सत्य की जमीन, रकवा
3,400 वर्गफीट (तीन हजार चार सौ वर्गफीट), अन्दर बसौड़ी महाल टाउन
"क", अन्दर थोका नं 36/14, अन्दर हलका मधुपुर नगरपालिका वाड नं 0
15, हैलिंग नं 0 146 जो सलगन नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया
गया है, मय कुल हक छुक्र बिक्री किया जिसकी चौहद्दी—
उत्तर-बिक्रेता की जमीन बाद उसके 12'-00" फीट चौड़ा प्रस्तावित रहस्ता।

इधर की लम्बाई पुरबा पारिचमा 85'-00" फीट।

दक्षिण-05'-00" फीट चौड़ा कोम्न गली।

इधर की लम्बाई पुरबा पारिचमा 85'-00" फीट।

पुरब-कल्पा रोड।

इधर की चौड़ाई उत्तरा दर्खिना 40'-00" फीट।

पश्चिम-बिक्रेता की जमीन व मकान।

इधर की चौड़ाई उत्तरा दर्खिना 40'-00" फीट।

घोषणा- उक्त विकीर्त सम्पत्ति पक्की सड़क से 131 फीट से अधिक दुरी पर है। निष्पारित मुल्यांकन के अनुसार रटाप दिया गया है।

गवाहान

Papu keun एवं श्री लाल नाना नाथ-जी
चुरोक्किम्पु, "एवं विधि, अदिवा राजा
Mathura - ८१५३५१ । ५१०५-

गो - गोप्याधु गृह ।

गो - ६३७०७ गृह ।

गो - ७९१ गृह ।


गो - ७९१ गृह ।

गो - १३ - १० - २०२५,

दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया प्रारूप कर्ता श्रीनारायण

डीडरायटर देवघर, दिनांक १५/१०/२००५

केता का फोटो, हस्ताक्षर एवं ईप निशान—



दुर्गाली

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक फोटो जो इस दस्तावेज में लगाये गये हैं
के बॉये हाथ के अंगुलियों के निशान मेरे द्वारा लिये गये हैं सभीना १५ फॉटो
डीडिरायटर देवधर, दिनांक १५/१०/२००५